- फार्म सं०-562
14 Form No.-562

आदेश सं० / तिथि No/ Date	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
10.11.23.	**न्यायालय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।**	

राँची सर्वे अपील 22/2019

सुकरा उराँव एवं अन्य
बनाम्
गोबरहा उराँव एवं अन्य

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया। यह सर्वे अपील सुकरा उरांव घरदमाद वीर सिंह उरांव, पति–जया उरांव, पत्नी सुकरा उरांव पुत्री विरसिंह उरांव, मौजा–करकरी बेड़ो, थाना, जिला–राँची द्वारा धारा–89 के तहत् बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा वाद संख्या–02/2017 में दिनांक–17.08.2017/19.02.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गयी।

इस वाद में मौजा–करकरी बेड़ो, थाना नं०–6 के खाता– नं०–295 सर्वे प्लॉट नं०–993, 1057, 1112, 1113, 1350, 1351, 1354, 1355, 1356 कुल रकवा 7.50 एकड़ सन्निहित है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उनका बहस सुना। इन्होंने अपने बहस में कहा कि निम्न न्यायालय बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक–17.08.2017 को आदेश पारित करने के पश्चात् पुनः सुधार करते हुए दिनांक–19.02.2018 को सुधार आदेश पारित किया गया, जो गलत है। इस आशय के साथ इन्होंने बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

द्वितीय पक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दी गई थी परंतु अनुपस्थित रहे।

विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि विधि सम्मत् आदेश पारित नही है।

अतः सर्वे वाद संख्या–22/2019 में दिनांक–19.02.2018 को पारित आदेश को खारिज किया जाता है साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची को निदेश दिया जाता है कि वे पुनः सुनवाई कर दो माह के अन्दर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची को भेंजे।

18/09/23
प्रमण्डलीय आयुक्त।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MANOJ JAISWAL
Date: 2023.11.29 03:20:33 -08:00
Location: 10.93.73.188

18/09/23
प्रमण्डलीय आयुक्त।

Scanned by CamScanner